उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-5

संख्या-3/2016/1143/एक-5-2015-55/2014

लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या-3 सन् 1901) की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से :-

(1) ग्राम महीउददीनपुर कनावनी के क्षेत्र को अपवर्जित करके जनपद गौतमबुद्धनगर में तहसील दादरी की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।

(2) तहसील दादरी के ग्राम महीउददीनपुर कनावनी के क्षेत्र को सम्मिलित करके जनपद गाजियाबाद में तहसील गाजियाबाद की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- संख्या-1143(1)/एक-5-2015-55/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2- प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त निदेशक राजकीय प्रेस शाखा, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को तत्काल दिनांक सितम्बर,2015 के असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित 500 मुद्रित प्रतियां शासन के राजस्व अनुभाग-5, 20 प्रतियां जिलाधिकारी, गाजियाबाद, 20 प्रतियां आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ तथा 50 प्रतियां आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8- राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ/निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in